श्री

14.2.20

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.दी. एवं अदेश प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश वैकेट करने बाबत् हुई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.दी. पर आदेश किया जाना उचित समझते है।

वकील रेस्पोडेन्ट (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता)का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में एक तरफा स्थगन दिनांक 21.03.2017 को प्राप्त कर रखा है परन्तु न्यायालय के बार बार आदेश के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 7 की तामील हेतु सही पते सम्मन पेश नहीं कर प्रकरण को देरीना किया जा रहा है। इस कारण अपील को आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत् अदम तकमील में निरस्त किया जावें।

वकील अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। बहस के दौरान उन्होने कथन किया कि उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में साधारण नोटिस व रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु पेश किये गये है तथा उनके द्वारा जानकारी कर किस पते पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 7 निवास करते है, उनका पता दिया गया था, इसके बावजूद भी तामील नहीं होने के लिए दोषी नही है। उनके द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना की जा रही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 07 की प्राप्त रजिस्टर्ड एड़ी व लिफाफें पर आई रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सत्यनारायण की तामील बाबत् डाक विभाग द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि रहने वाला स्थायी रूप से विजयनगर रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 07 पुष्पादेवी के लिफाफे पर यह रिपोर्ट है कि इस नाम की महिला बघेरा में नहीं रहती है, स्थायी रूप से अजमेर में रहती है। इसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 07 का पुराना पता ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी का ही दिया जाकर नोटिस पेश किए जिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा अदम तामील की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर लम्बे समय से प्रत्यर्थी संख्या 02 व 07 के सही पते के सम्मन/रजिस्टर्ड एड़ी पेश नहीं गई है, जो कि अन्तर्गत आदेश 09 नियम 5 जा.दी. के प्रावधाना की मंशा कें विपरीत है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तगत आदेश 09 नियम 05 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

14/2/20